(d) what is the total area to be covered by this electric ring railway in Delhi and the names of Stations it is to stop and the duration of its stay; and

(e) what efforts are being made to ensure its smooth running?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.

(b) and (c). Yes. Since the trial run was made on open timings and no time schedule was required to be fixed, therefore, the question of covering the distance within the stipulated time does not arise. Certain teething problems were identified during the trial run. These have since been rectified.

(d) About 35 Kms with 19 stations, where half a minute stoppage each has been planned. These stations are: Nizamuddin, Lajpat Nagar, Sewa Nagar, Lodhi Colony, Sarojini Nagar, Delhi Safdarjang, Chanakyapuri, S. P. Marg, Brar Square, Naraina Vihar, Kirti Nagar, Patel Nagar, Dayabasti, Delhi Kishan Ganj, Delhi Sadar Bazar New Delhi, Minto Bridge, Tilak Bridge and Pragati Maidan.

(e) The core works essential for the operation of the Ring Railway have since been completed. Residual works are under execution. Only after completion of the residual works, the EMU trains will be introduced. Initially, the existing circular trains will be replaced with EMU services which will be progressively increased depending upon the traffic offering and the experience gained.

सेवा नगर, नई दिल्ली में मकानों पर कब्जा रखने वाले सेवा निवृत रेलवे कर्मचारी

3293. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे कर्मचारी सेवा निवृत होने के बाद नई दिल्ली स्थित रेलवे कालोनी सेवा नगर में रेलवे अवासीय मकानो में अभी भी रह रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सेवा से कितने कर्मचारी सेवा निवृत हुए हैं और वे कब से रेलवे रिहायशी मकानों में रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही समुचित उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) छः ।

सरकारी आवासों में रहने की अवधि 3 महीने से 3 वर्ष तक अलग-अलग है।

(ग) इन मामलों में पहले से ही की जा रही बेदखली की कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

इलाहाबाद डिवीजन में सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करना

3294. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कुछ ऐसे आदेश हैं जिनके अनुसार एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत तक उसी स्थान पर तैनात रह सकता है जिस पर उसकी नियुक्ति हुई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इलाहाबाद डिवीजन में ऐसे कितने सहायक कार्मिक अधिकारी हैं जिनकी रेलवे सेवा में भर्ती इलाहाबाद में हुई थी और अपनी पदोन्नति के बाद भी वे वही काम कर रहे हैं; और